हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला-176215
Himachal Pradesh Board of School Education, Dharamshala-176215

क्रमांकः हि.शि.बो.(38) संबद्धता/2025 -5/60- 6333 दिनांकः 23-06-2025

प्रेषकः-

सचिव,
हि०प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड,
धर्मशाला-176215।

प्रेषितः-

प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक,
समस्त संबद्धता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थान,
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड,
धर्मशाला (हि०प्र०)

विषयः- शिक्षण संस्थान में बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम/पाठ्यपुस्तकें/प्रायोगिक पुस्तकें पढ़ाने तथा व्यापारिक गतिविधियां न करने के सन्दर्भ में।

ज्ञापनः

उपरोक्त विषय पर आपको सूचित किया जाता है कि बोर्ड में निजी शिक्षण संस्थानों की विभिन्न माध्यमों से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि उनके द्वारा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तकों को विक्रय करने के साथ-साथ कापियां, टाई, बैल्ट, बैज, बर्दी और जूते आदि बेचने जैसी व्यापारिक गतिविधियां भी की जा रही हैं, जिसके बारे में समाचार पत्र में भी प्रकाशित किया गया है।

जैसा कि आपको पहले भी सूचित किया गया है कि संबद्धता विनियम 16.3.4(n) के अन्तर्गत शिक्षण संस्थान में बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम/पाठ्यपुस्तकें/प्रायोगिक पुस्तकें पढ़ाना अनिवार्य है तथा विनियम 16.3.12(a) के अन्तर्गत भी स्कूल में केवल बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तकें/प्रायोगिक पुस्तकों को ही खरीद कर बच्चों को विक्रय किया जायेगा तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की व्यापारिक गतिविधियां जैसे टाई, बैल्ट, बैज, बर्दी, जूते और कापियाँ आदि संस्थान में विक्रय नहीं किये जा सकते हैं।

अतः यह निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त नियमों का कढ़ाई से पालन किया जाए। यदि औचक निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि शिक्षण संस्थान में बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम/पाठ्यपुस्तकें/प्रायोगिक पुस्तकें नहीं पढ़ायी जा रही हैं तथा स्कूल में व्यापारिक गतिविधियों को अन्जाम दिया जा रहा है तो नियम 16.3.4(n) तथा 16.3.12(a) की अवहेलना करने पर संस्थान को प्रदान की गई संबद्धता को वापिस ले लिया जाएगा, जिसका उत्तरदायित्व स्कूल प्रंबधन/प्रधानाचार्य का होगा, बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा।

डॉ०(मेजर) विशाल शर्मा (हि.प्र.से.)
सचिव